न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–23/2025

रण विजय प्रसाद सिंह – आवेदक
बनाम्
कन्हैया प्रसाद – विपक्षीगण

आदेश

07.03.2026

आवेदक की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–23/2025 मूल स्वत्व वाद सं0–361/2021 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–361/2021 जो दिनांक–28.02.2025 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक/प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–23/2025 दाखिल किया गया है। आवेदक का मुकदमा में न्यायालय के आदेश फलक से यह जाहिर है कि विपक्षी की उपस्थिति के लिए अपेक्षिकाएं दाखिल करना था लेकिन वादी द्वारा बहुत पहले ही न्यायालय में अपेक्षिकाएं दाखिल करके दोनों विधियों से समन भेजा गया तथा उसकी रजिस्ट्री डाक रिटर्न होकर रेकर्डमें लगा हुआ है उसके न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं है। वादी जान बूझकर गलती नहीं किया है बल्कि नोटिस जारी करने की बात रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण ही वादी का मुकदमा न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। नंबरी मुकदमा 361 सन् 2021 के अदम पैरवी में खारिज का आदेश का नकल का आवेदन दिनांक–10.03.2025 को दिया जो दिनांक–05.04.2025 को प्राप्त हुआ तथा मनसउदा बनवाने में कुछ समय लगा तथा दिनांक–23.04.2025 को बंद था जिसके कारण आज आवेदक ने यह विविध वाद दाखिल करता है। मुकदमा खारिज होने से आवेदक को काफी क्षति होगी। आवेदक जान बूझकर अनुपस्थित नहीं रहा है बल्कि यह आवेदक के नियंत्रण के बाहर का है। वाद के सुनवाई में आवेदक/प्रार्थी हमेशा सहयोग करेंगे वो अदालत के हर एक आदेश का अनुपालन में आवेदक/प्रार्थी किसी तरह का लापरवाही नहीं बरतेंगे। अतः निवेदन है कि आवेदक का मूल नंबरी वाद संख्या–361 सन् 2021 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–23/2025 मूल स्वत्व वाद संख्या–361/2021 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदक

के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक–28.02.2025 को अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदक के नियंत्रण से बाहर था। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है जो समय–सीमा के अन्दर है। आवेदक द्वारा उचित पैरवी नहीं करने के कारण खारिज हो गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल वाद संख्या–361/2021 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–23/2025 को न्यायहित में 3000/–रूपये खर्चा के साथ मूल वाद संख्या 361/2021 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय